न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 38 / 2012 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2012 / 00019

1. जैतूना पुत्री कादू खां पत्नी इमामू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम छतरगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. उमरावा पुत्री कादू खां } जाति मुसलमान निवासीगण छतरगढ़ तहसील
2. नूरा पुत्री कादू खां } जिला बीकानेर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, छतरगढ़, तहसील छतरगढ़, जिला बीकानेर।
4. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व छतरगढ़ तहसील छतरगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थित: श्री जयचन्दलाल सारस्वत — अभिभाषक अपीलांट
एकतरफा कार्यवाही — रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3

निर्णय

दिनांक 05.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ के आदेश दिनांक 26.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 के पिता कादू खां पुत्र दादू खां की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम छतरगढ़ के खसरा नंबर 407 में 25 बीघा बारानी भूमि स्थित है। कादू खां की मृत्यु दिनांक 02.10.1998 को हो जाने पर वादगत भूमि का विरासतन इंतकाल सं. 566 हलका पटवारी द्वारा भरकर सरपंच ग्राम पंचायत छतरगढ़ के समक्ष पेश किया, जिसे सरपंच, ग्राम पंचायत छतरगढ़ ने दिनांक 06.07.2010 को अस्वीकृत कर दिया। ग्राम पंचायत छतरगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 06.07.2010 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया तथा तहसीलदार को रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति व अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 के पिता कादू खां के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। अपीलांट के पिता कादू खां की मृत्यु दिनांक 02.10.1998 को हो जाने पर उक्त वादगत भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 566 हलका पटवारी द्वारा भरकर सरपंच, ग्राम पंचायत, छतरगढ़ के समक्ष पेश किया, जहां कादू खां की तीन पुत्रियों में से केवल दो ही पुत्रियां रेस्पोडेंट सं. 1, 2 का नाम बतौर वारिस कॉलम सं. 9 में दर्ज होने से सरपंच ग्रा.पं. छतरगढ़ ने उक्त इंतकाल को दिनांक 06.07.2010 को अस्वीकृत कर दिया, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट सं. 1, 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की तथा अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सं. 1, 2 ने दूसरा वारिस प्रमाण पत्र पेश किया, जिसमें केवल रेस्पो. सं. 1, 2 का ही नाम था। ग्राम पंचायत को भी समुचित तामिल किये बगैर व सुनवाई के बगैर इकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर बिना जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

3— अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के दौराने बहस अनुपस्थित रहने की दशा में उनके विरूद्ध इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.07.2025 द्वारा एकतरफा (Ex parte) की कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

4— हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मंनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 पारित करते हुए ग्राम पंचायत छतरगढ़ के आदेश दिनांक 06.07.2010 को निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार छतरगढ़ को रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दे दिये। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश अपीलांट एवं ग्राम पंचायत छतरगढ़ को बिना सुने इकतरफा तौर पर पारित है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार छरतगढ को सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर